

भाग III
(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)
प्रस्ताव पर वन संरक्षक की अनुशंसा

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें	14	नहीं।
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	15	सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें	16	वनमण्डलाधिकारी सा0 वनमंडल सीहोर द्वारा भाग II में की गई अनुशंसा के आधार पर, सीहोर जिले के अंतर्गत ग्राम सनकोटा से सिराड़ी मार्ग निर्माण ,किये जाने हेतु परिक्षेत्र लाड़कुई के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 370, 386, 387, 388, 410 एवं 411 की कुल 4.580 हे0 वनभूमि, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग बुधनी, जिला सीहोर को उपयोग पर देने के लिए , वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत, व्यपवर्तन की अनुमति बावत् अनुशंसा की जाती है।

तिथि 21.10.2022

स्थान: भोपाल

नाम
सरकारी मोहर

(राजेश कुमार खरे)
वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

कार्यालय वनसंरक्षक, भोपाल वृत्त भोपाल

खेल भवन 74बंगला, भोपाल रूमाथ 267/4296 कार्या 267/4345

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2022



क्रमांक/मा.वि./ 2251

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(सू-प्रबंध)
मोप्रमो भोपाल

विषय:- सीहोर जिले के अंतर्गत ग्राम सनकोटा से सिराही मार्ग निर्माण हेतु 4.580 हेक्टर वनभूमि, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संगमाम बुधनी जिला सीहोर को उपयोग पर देने बाबत।

(ऑन लाईन प्रस्ताव क्र FP/MP/ROAD/148434/2021)

संदर्भ:- वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल सीहोर का पत्र क्रमांक/मा.वि./2314 दिनांक 17/10/2022

—00—

विषयानुसार वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल सीहोर ने संदर्भित पत्र द्वारा सीहोर जिले के अंतर्गत ग्राम सनकोटा से सिराही मार्ग निर्माण हेतु, परिक्षेत्र लाइकुई के कक्ष क्रमांक आर.एक, 370, 386, 387, 388, 410 एवं 411 की (6550 मीटर लंबाई तथा 7 मीटर चौड़ाई), कुल 4.580 हे० वनभूमि, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संगमाम बुधनी, जिला सीहोर को उपयोग पर देने बाबत, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति हेतु विधिवरित प्रारूप भाग II की पूर्ण उपरालत, ऑन लाईन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, प्रस्ताव की हार्ड प्रति अपने स्पष्ट अभिमत/अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है।

प्राप्त प्रस्ताव अनुसार व्यापवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र में कुल 290 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संगमाम बुधनी जिला सीहोर द्वारा उपरोक्तानुसार ग्राम सनकोटा से सिराही (एकबा 4.580 हे०) मार्ग निर्माण के अतिरिक्त ग्राम नयापुरा से सनकोटा (एकबा 4.200 हे०) तथा ग्राम खेरी से डोंगलपानी (एकबा 4.410 हे०) मार्ग निर्माण हेतु कुल 13.190 हे० वनभूमि व्यापवर्तन हेतु वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत तीन पृथक पृथक प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। जिनके बदले में कलेक्टर जिला सीहोर द्वारा प्रक्रां/0005/8-20(2)/2022-23 दिनांक 24/6/22 से ग्राम पंचायत तहसील नसल्लुलगांज के खसरा क्रमांक 7, की भूमि में से कुल 13.300 हे० भू-वनभूमि, वन विभाग को हस्तांतरित की गई है।

व.म.अ. द्वारा उक्त तीनों प्रकरणों के बदले में प्राप्त 13.300 हे० भू-वनभूमि, पर 01000 रोपण हेतु राशि रुपये 70,16,000/- की एकजवाई 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर, तकनीकी स्वीकृति हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई, जिसकी तकनीकी स्वीकृति, कार्यालयीन आदेश क्र/मा.वि./423 दिनांक 14/10/2022 द्वारा जारी की जा चुकी है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न हैं।

अतः वनमंडलाधिकारी सा० वनमंडल सीहोर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, सहमति सहित दो प्रति में आगामी कार्यवाही हेतु सार सलग्न संश्लेषित है।
संलग्न:- यथावर्णित।

(राजेश कुमार खेरी)
वनसंरक्षक,

पृ०क्रमांक/मा.वि./ 2252

प्रतिनिधि:- वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल सीहोर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंगोषित।

2. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संगमाम बुधनी, जिला सीहोर की ओर सूचानार्थ।

वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

Encl act year 2012 encl act Jan 2022.doc

27/10/22